मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१८

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१८ है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.**

(१) धारा ५ में,—

(एक) खण्ड (१) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(१-क) "मनोविनोद" से अभिप्रेत है किसी मनोविनोद आर्केड या मनोविनोद पार्क या थीम पार्क या चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उपलब्ध कराया गया कोई मनोविनोद जबकि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो;";

(दो) खण्ड (२२-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(२२-ख) "मनोरंजन" में सम्मिलित है निम्नलिखित जब कि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में नकद में या किसी अन्य रीति में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा चाहे वह अग्रिम, किस्तों में या किसी अन्य रीति में प्राप्त किया गया हो :—

(एक) कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;

(दो) डी.टी.एच. सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(तीन) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(चार) दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रिंगटोन, संगीत, वीडियो, चलचित्र, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि;

(पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता;

(छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन.

स्पष्टीकरण.—मध्यप्रदेश के किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी;'';

(२) धारा १३२ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(च) किसी नगरपालिक निगम क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर.'';

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(३) उपधारा (१) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.''.

भाग दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा ३ में,—

(एक) खण्ड (१) को खण्ड (१-क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुर्नक्रमांकित किए गए खण्ड (१-क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(१) ''मनोविनोद'' से अभिप्रेत है किसी मनोविनोद आर्केड या मनोविनोद पार्क या थीम पार्क या चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उपलब्ध कराया गया कोई मनोविनोद जबकि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो;'';

(दो) खण्ड (१०-ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(१०-ग) ''मनोरंजन'' में सम्मिलित है निम्नलिखित जब कि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में नकद में या किसी अन्य रीति में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा चाहे वह अग्रिम, किस्तों में या किसी अन्य रीति में प्राप्त किया गया हो :—

(एक) कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;

(दो) डी.टी.एच. सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(तीन) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(चार) दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रिंगटोन, संगीत, वीडियो, चलचित्र, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि;

(पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता;

(छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन.

स्पष्टीकरण.—मध्यप्रदेश के किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी;".

(२) धारा १२७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(च) किसी नगरपालिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर.";

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३) उपधारा (१) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०१८ (क्रमांक ७ सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के १०१ वें संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि ६२ प्रतिस्थापित की गई है, इस संशोधन के पश्चात् किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उसकी सीमा के भीतर मनोरंजन और मनोविनोद पर उद्गृहीत और संगृहीत किए जाने वाले कर पर कानून बनाने के लिए राज्य विधान-मण्डलों को सशक्त किया गया है. यह संशोधन सिनेमा और केबल संचालकों पर कर अधिरोपित करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है.

२. उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा ५ और १३२ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३ और १२७ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ७ सन् २०१८) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जून, २०१८

माया सिंह
भारसाधक सदस्य

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-दो तथा तीन द्वारा विर्निदिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि विहित किये जाने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम १९५६ की धारा १३२(१)(एफ) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १२७(१)(एफ) में नगरीय निकायों को नगर पालिका सीमा में माल पर कर लगाये जाने के अधिकार दिये गये हैं. संविधान संशोधन उपरांत इन दोनों धाराओं को विलोपित कर उनके स्थान पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम १९५६ की धारा ५ तथा १३२ एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा ३ तथा १२७ स्थापित कर मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद पर कर लगाये जाने के लिये नगरीय निकायों को सशक्त किया जाना आवश्यक हो गया था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधानसभा का सत्र चालू नहीं था इसलिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०१८ (क्रमांक ७ सन् २०१८) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५ में,—

(एक) खण्ड (१) ''प्रशासक'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से या व्यक्तियों की ऐसी समिति से है जिसकी नियुक्ति निगम की शक्तियों को प्रयोग में लाने और उसके कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिये इस अधिनियम के अधीन शासन द्वारा की जाए,

*   *   *   *   *

(दो) खण्ड (२२-क) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग,

*   *   *   *   *

(२) धारा १३२ में,—

उपधारा (१) (च) नगर पालिक क्षेत्र के भीतर उपभोग/उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश किए गए ऐसे माल पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए, उसके (माल के) मूल्य के चार प्रतिशत से अनधिक दर पर स्थानीय निकाय कर,

उपधारा (२)   *   *   *   *   *

उपधारा (३) स्थानीय निकाय कर के निर्धारण तथा संग्रहण की रीति ऐसी होगी, जैसी की विहित की जाए,

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ की धारा ३ में,—

खण्ड (१) निर्धारण सूची से नगर पालिका का वह निर्धारण रजिस्टर अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार किया गया तथा बनाये रखा गया है, और उसके अन्तर्गत उसका समनुवंशी कोई रजिस्टर भी है,

खण्ड (१०-ख) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग,

*   *   *   *   *

धारा १२७ में,—

उपधारा (१) में खण्ड (च) नगर पालिक क्षेत्र के भीतर उपभोग/उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश किए गए ऐसे माल पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए, उसके (माल के) मूल्य के चार प्रतिशत से अनधिक दर पर स्थानीय निकाय कर,

उपधारा (२)   *   *   *   *   *

उपधारा (३) स्थानीय निकाय कर के निर्धारण तथा संग्रहण की रीति ऐसी होगी, जैसी की विहित की जाए,

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.